


अप्राधिकृत
अडिगानुम
सिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम तामिल से जारी

पत्रावली पेश हुई वकील पदाकारान उपरिखत/उक्त पत्रावली
के मूल वाजपाराभन्तगत 53, 188 राज.का. अधि. मुकदमा
स. 52/2018 (पुराने), 187/2020 (नवीन) में आदेश हो चुके
हैं अतः प्राप्ति पत्र भन्तगत द्वारा 212 राज.का. अधि.
का चलाने का कार्य व्यायिक कौन्सिल नहीं रह गया है
अतः पत्रावली केवल मुमाल होकर नम्बर के कम ही


उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)